न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
31 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	13.05.2017	21.07.2022

मदन लाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

बनाम

1—श्री अभिषेक माहेश्वरी पुत्र श्री रामप्रसाद माहेश्वरी एफ.बी.ओ. मैसर्स अभिषेक एन्टरप्राईजेज नगरपालिका के सामने देवली जिला टोंक राज० निवासी ज्योति कॉलोनी ग्राम ऊँचा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा (राज0)।
2—मैसर्स अभिषेक एन्टरप्राईजेज नगरपालिका के सामने देवली जिला टोंक राज०
3—श्री प्रदीप एस. चौना पार्टनर / डायरेक्टर मैसर्स हेवमोर आईसक्रीम लिमिटेड ए.डी. 3 / ई देवी मार्ग बनीपार्क जयपुर (राज0) निवासी गार्डन कॉलोनी एलिस ब्रिज अहमदाबाद।
4—श्रीमति रेखा पी. चौना पार्टनर / डायरेक्टर मैसर्स हेवमोर आईसक्रीम लिमिटेड ए.डी.3 / ई देवी मार्ग बनीपार्क जयपुर (राज0) निवासी गार्डन कॉलोनी एलिस ब्रिज अहमदाबाद
5—श्री अंकित पी. चौना पार्टनर / डायरेक्टर मैसर्स हेवमोर आईसक्रीम लिमिटेड ए.डी.3 / ई देवी मार्ग बनीपार्क जयपुर (राज0) निवासी गार्डन कॉलोनी एलिस ब्रिज अहमदाबाद
6—श्री भास्कर एच. बेन्दा पार्टनर / डायरेक्टर मैसर्स हेवमोर आईसक्रीम लिमिटेड ए.डी.3 / ई देवी मार्ग बनीपार्क जयपुर (राज0) निवासी ए—42 / 627 कृष्णा नगर, सैजपुर बौगा अहमदाबाद
7—मैसर्स हेवमोर आईसक्रीम लिमिटेड ए.डी. 3 / ई देवी मार्ग बनीपार्क जयपुर (राज0)।
8—श्री रणधीर मुलजीभाई राजपूत नॉमिनी मैसर्स हेवमोर आईसक्रीम लिमिटेड प्लॉट नं0 185 / ए, फेज प्रथम एनआर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नरोडा, अहमदाबाद।
9—मैसर्स हेवमोर आईसक्रीम लिमिटेड प्लॉट नं0 185 /, फेज प्रथम एनआर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नरोडा, अहमदाबाद।

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार उप.।
2—अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित।

:—निर्णय—: **दिनांक 21.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.06.2016 को समय 02:30. पी.एम पर मैसर्स, अभिषेक एन्टरप्राईजेज नगरपालिका के सामने देवली जिला टोंक (राज0) पर पहुँचा। वहाँ पर श्री अभिषेक माहेश्वरी पुत्र श्री रामप्रसाद माहेश्वरी मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अभिषेक माहेश्वरी ने स्वयं को मैसर्स अभिषेक एन्टरप्राईजेज नगरपालिका के सामने देवली जिला टोंक (राज0) का एफ.बी.ओ. होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री अभिषेक माहेश्वरी की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **आईसक्रीम हेवमोर स्ट्राबेरी फ्लेवर्ड (Ice-Cream Havmor Strawberry Flavoured)** जिसके बैच नं० एन. 144 बी दिनांक 05/2016 थी, 5–5 लीटर के 3 सील पैक पेपर कार्टून दुकान के फ्रीजर में रखे हुए थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अभिषेक माहेश्वरी को फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ. बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री अभिषेक माहेश्वरी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **आईसक्रीम हेवमोर स्ट्राबेरी फ्लेवर्ड (Ice-Cream Havmor Strawberry Flavoured)** को वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं,5–5 लीटर के 3 कागज गत्ते में सील पैक नगों में से एक नग 5 लीटर सील पैक का चयन कर कुल वजन 1200 ग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **आईसक्रीम हेवमोर स्ट्राबेरी फ्लेवर्ड (Ice-Cream Havmor Strawberry Flavoured)** को 300–300 ग्राम बराबर–बराबर (एक भाग 300 ग्राम) चार साफ व सूखी काँच की शिशियों में भरकर बतौर प्रीजरवेटिव फार्मेलिन की 24–24 बूंदे प्रत्येक कांच के जार में मे डालकर अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रूप कर काँच की शिशियों के ढक्कन को एयर टाइट बन्द किया, एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1362 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री अभिषेक माहेश्वरी तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1362 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को आवेदक ने अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ **आईसक्रीम हेवमोर स्ट्राबेरी फ्लेवर्ड (Ice-Cream Havmor Strawberry Flavoured)** का नमूना कय करते समय श्री अभिषेक माहेश्वरी पुत्र श्री रामप्रसाद माहेश्वरी ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स हेवमोर आईसक्रीम लिमिटेड सी एण्ड एफ अतुल एन्टरप्राईजेज 75,मां हिंगलाज नगर–सी, गाँधी पथ, वैशाली नगर जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुन सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स अतुल एन्टर प्राइजेज (हेवमोर आईस क्रीम लि.) 75, माँ हिंगलाज नगर–सी गाँधी पथ वैशाली नगर जयपुर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

फर्म के व्यवहारी ने हेवमोर आईस क्रीम लि0 नरोडा जी.आई.डी.सी. अहमदाबाद गुजरात का बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/2728 दिनांक 08.07.16 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एल0 एस0/377/एक्ट/2016/427 दिनांक 16.06.16के अनुसार एफ.बी.ओ. श्री अभिषेक माहेश्वरी से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **आईसक्रीम हेवमोर स्ट्राबेरी फ्लेवर्ड (Ice-Cream Havmor Strawberry Flavoured) अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **आईसक्रीम हेवमोर स्ट्राबेरी फ्लेवर्ड (Ice-Cream Havmor Strawberry Flavoured)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 09.06.2017 को श्री सियाराम शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब हेतु समय चाहा परन्तु अभिभाषक अप्रार्थीगण को कई अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस का **आईसक्रीम हेवमोर स्ट्राबेरी फ्लेवर्ड (Ice-Cream Havmor Strawberry Flavoured)** का विकय कर रहे था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल (बुलैट लाईट ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 75,000/– (अक्षरे पचहत्तर हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 ता 7 पर कुल शास्ति रूपये 2,50,000/– (अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 8 व 9 पर कुल शास्ति रूपये 4,50,000/–(अक्षरे चार लाख पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 21.07.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक